1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/2022

1. शाहनवाज (फौत)

1/1 रज्जाक खां
1/2 किलो बेगम
1/3 रज्जो बेगम
} पिसरान स्व0 श्री शाहनवाज पुत्र स्व0 श्री दोष मोहम्मद

2. शाहसवार
3. मुमताज
} पिसरान स्व0 श्री दोष मोहम्मद

4. ताज मोहम्मद (फौत)

4/1 गौरा बीबी पत्नी स्व0 श्री ताज मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री दोष मोहम्मद

4/2 गोफार अली
4/3 गुलशन अली
} पिसरान स्व0 श्री ताज मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री दोष मोहम्मद

5. नियाज मोहम्मद (फौत)

5/1 रजिया बेगम पत्नी स्व0 श्री नियाज मोहम्मद पुत्र. स्व0 श्री दोष मोहम्मद

5/2 हसीना बेगम
5/3 शहनशाह
} पिसरान स्व0 श्री नियाज मोहम्मद पुत्र स्व0 स्व0 श्री दोष मोहम्मद।

6. इना बीबी पत्नी स्व0 शाहरसूल पुत्र स्व0 श्री दोष मोहम्मद
7. अल्लादित्ता पुत्र स्व0 शाहरसूल पुत्र स्व0 श्री दोष मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

--अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

अशोक कुमार
27/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत नियम 8 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (गैरदाखिलकार काश्तकार को पैंतालीसा क्षेत्र में भूमि का आवंटन) शर्तें 1970

विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.09.2008 द्वारा अपर जिला कलक्टर (जागीर)

प्रकरण सं0 10/2007 अनवान शाहनवाज बनाम स्टेट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 27/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स के पूर्वज शाहनवाज ने एक प्रार्थना—पत्र पेश किया जिसमें दोष मोहम्मद पुत्र नाजिर खां ग्राम राठीखेड़ा तहसील टिब्बी के खसरा नं. 9 व 15 में 20 बीघा भूमि सम्वत् 2015—2016 से पूर्व गैर दाखिलकारी दर्ज थी। और चकबंदी होने पर यह भूमि पत्थर नं. 217/284 के किला नं. 1, 4, 7 से 15 व 17 से 24 कुल 20 बीघा में पैमूद हुई। भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट के नाम चली आ रही है जो चक 3 आर.के. में दर्ज है। अपीलाण्ट सम्वत 2015 से पूर्व साधिकार काबिज चले आ रहे हैं। पैंतालिसा क्षेत्र में ऐसे काश्तकार की संवत 2016 से पूर्व किसी भूमि पर कबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उनकी हैसियत गैरदाखिलकार की होती है एवं ऐसे व्यक्तियों के कब्जा शुदा भूमि के आवंटन हेतु पैंतालिसा आवंटन नियम 1970 निर्मित है। प्रार्थीगण अपने कब्जे शुदा भूमि को आवंटन करवाने के पात्र हैं। अतः प्रश्नगत भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के नाम किया जावे। अप्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना—पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना—पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

27/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट 50 वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। अपीलांट द्वारा उक्त बंजर भूमि को उपजाउ बनाया है अपीलाण्ट राजस्थान के मूल निवासी हैं व राजस्थान के काश्तकार हैं व सद्भाविक कृषक हैं। अधीनस्थ अधिकारियों को रकबा रिज्यूम करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किये हैं क्यों कि उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी व पानी की पर्ची राजस्व मामला व नहरी मामला अपीलाण्ट के नाम से हैं, अपीलाण्ट इस भूमि के काश्तकार हैं और कब्जा के आधार पर भी उक्त भूमि पाने के अधिकारी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर भी भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय का तर्क कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता दोष मोहम्मद के नाम से पहले 20 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज थी और 20 बीघा भूमि अलाट कर दी जावे तो 40 बीघा हो जावेगी इसलिए भूमि पाने के अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट के पिता सिलिंग सीमा तक भूमि पाने का अधिकारी था उक्त भूमि टिब्बी में पड़ती है इसलिए टिब्बी में 60 बीघा 8 बिस्वा तक नहरी भूमि पाने के अधिकारी हैं क्यों कि तहसील टिब्बी में सिलिंग सीमा 60 बीघा से अधिक थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी वाकेयाति भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना कि अब आवंटन का प्रार्थना–पत्र बदनियति से पेश किया है कतई गलत है क्यों कि उक्त भूमि पूर्व में दोष मोहम्मद के नाम से राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज थी और उनके द्वारा पैरवी की जा रही थी तथा उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अपीलांट को जानकारी नहीं थी व जानकारी हाते ही नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही जारी कर दी गई इसलिए यह कहना कि अपीलाण्ट द्वारा सद्भावी नियत से प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है कतई गलत है और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा गिरदावरी पर संदेह पैदा किया गया है जो कतई गलत है और न तो अधीनस्थ न्यायालय में इसके विपरीत इस पत्रावली पर कोई साक्ष्य थी। जबकि गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई थी और

27/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

गिरदावरी रेस्पोडेंट के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई थी इसलिए यह कहना कि नकल गिरदावरी संदेहास्पद है कतई गलत है। न तो कटिंग थी और नही अपीलांट द्वारा कोई कटिंग की गई और न ही आवर राईटिंग की गई और न ही आवर राईटिंग का फायदा उठाया जा रहा है। बल्कि अपीलाण्ट इस भूमि के कृषक हैं और आवंटन के पात्र है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। कंडीशन 9 (बी) के अनुसार सन् 1928 से 1955 तक के काबिज गैर दाखिलकार up to ceiling area आवंटन के पात्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पात्रता की जांच की और ना ही कंडीशन 9 (बी) के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। विचारण न्यायायल का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 640, आरआरडी 1999 पेज 305 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का यह कथन कि गैरदाखिलकारी भूमि के आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक हो, उन्हें ज्ञान नहीं था यह मात्र बयानबाजी व बेबुनियाद कथन है। क्योंकि प्रार्थीगण के पिता ने गैरदाखिलकारी शर्तो में चक 2 जीजीआरके प. नं. 219/292 की 15 बीघा व प. नं. 209/291 की 5 बीघा इस प्रकार 20 बीघा भूमि कीमत आवंटन करा ली है जिसकी किश्तें बेबाक होकर दिनांक 15.1.1975 को खातेदारी भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसी अवस्था में यह कहना गलत है कि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने का ज्ञान नहीं था। यदि हस्तगत प्रकरण के आवंटन का पात्र होता तो प्रार्थीगण के पिता को यह भूमि आवंटन हो सकती थी अब नए सिरे से प्रार्थना-पत्र देना बदियान्ति प्रदर्शित करता है। प्रार्थीगण सद्भावी नहीं है। प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई नकल गिरदावरी सन्देहास्पद है, इसमें रकबा की संख्या में कटिंग की गई है। पर्चा खतौनी में हुए अंकन के अनुसार भूमि राज्य सरकार की दर्ज है और विशेष विवरण में अंकन है कि पुख्ता अलॉटमन्ट से जेरकार है। विचारण

27/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थीगण के पिता दोष मोहम्मद पुत्र नादर को पूर्व में जिलाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 1213 दिनांक 25.05.2071 से गैरदाखिलकारी रकबा 2 जीजीआर के प0 नं0 219/292 में 15 बीघा, 209/271 में 5 बीघा कुल 20 बीघा का आवंटन पूर्व में हो चुका है। प्रार्थी ने अब पुनः एक नया प्रार्थना–पत्र में पात्रता की जांच कर आवंटन किया जाना विचारण न्यायालय ने उचित नही माना है। क्योंकि प्रार्थीगण के पिता जो कि गैरदाखिलकार थे, उनकी पात्रता की जांच पूर्व में होकर आवंटन हो चुका है। अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की नकल संवत 2016 में प्रार्थीगण के पिता के नाम 15 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी की दर्शाई है परन्तु इस 15 बीघा भूमि को ओवर राईटिंग कर अंकन किया गया है जबकि वास्तविक संख्या कोई और थी। अप्रार्थीगण द्वारा इस कटिंग का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थीगण अपने पिता की ख. नं. 9 व 15 की 20 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी की बताते हैं यदि इसे सही माना जाए तो पूर्व की आवंटित हुई 20 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी की बताते हैं यदि इसे सही माना जाए तो पूर्व की की आवंटित हुई 20 बीघ भूमि को शामिल करते हैं तो 40 बीघा बनती है। इसलिए प्रश्नगत भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2012 से 15 ख. नं. 9 के 15 बीघा व 17 के 20 बीघा कुल 35 बीघा का अप्रार्थीगण का पिता गैर दाखिलकार था, इसमें ख. न. 9 की 15 बीघा भूमि आवंटन से शेष क्यों रही यह एक विचारणीय प्रश्न है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पात्रता की सीमा तक आवंटन की गई एवं शेष हस्तगत प्रकरण की भूमि आवंटन नहीं की जा सकी थी। मौजूदा जमाबंदी में भी प्रार्थीगण गैरखातेदार हैं न कि गैरदाखिलकार ऐसी अवस्था में यह रकबा आवंटन योग्य ही नही बनता है। पर्चा खतौनी चक 4 जीजीआर के अनुसार प. नं. 217/284 किला नं. 24 की बाबत श्री बुशिचन्द पुत्र. जलाराम का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना–पत्र जेरकार होने का नोट अंकित है, इस प्रकार इसी पत्थर के किला नं. 20 से 23 की

27/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बाबत श्री बाबूराम पुत्र हीरालाल गैरदाखिलकार का आवंटन का प्रार्थना–पत्र जेरकार होने का नोट अंकित है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण आवंटन के अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त 4 बीघा की बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निर्णय होना शेष है। इस स्थिति में इस मामले पर कोई कार्यवाही करना भी विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलाण्ट की प्रश्नगत 5 बीघा के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2005 से खारिज हो चुकी थी तो इन 5 बीघा को शामिल करते हुए पुनः प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अपीलाण्ट द्वारा बार बार आवेदन किया जा रहा है जबकि उनकी पात्रता वर्ष 1971 में ही तय की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलाण्ट का आचरण सद्भावी नहीं है। अपीलाण्ट ने परिवार के सदस्यों की धारणाधिकार की भूमि का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही सीलिंग सीमा के सम्बन्ध में कोई घोषणा पत्र या साक्ष्य ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है अतिरिक्त जिला कल्क्टर (जागीर) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2008 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिवजाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक मीणा 27/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner